

## 2.1(c). साहित्यिक स्रोतों की त्रुटियाँ एवं पुरातात्विक स्रोतों का महत्त्व (*Weakness of Literary Sources and Importance of Archaeological Sources*)

साहित्यिक स्रोतों से यद्यपि अनेक महत्त्वपूर्ण विवरणों और घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, तथापि सिर्फ इनके आधार पर ही निरपेक्ष ढंग से भारतीय इतिहास की रचना नहीं की जा सकती। साहित्यिक ग्रंथों में अनेक त्रुटियाँ हैं। देशी साहित्य में तिथिक्रम का अभाव है। उनके काल-निर्धारण की समस्या सबसे विकट है। अधिकांश ग्रंथ धार्मिक भावना या पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर लिखे गए हैं। उनके विवरण भी अतिरंजित हैं। साहित्यिक स्रोतों में स्तरीकरण की भी समस्या है। इसी प्रकार साहित्यिक ग्रंथों में जो विवरण उपलब्ध हैं उन्हें समस्त भारत के इतिहास की जानकारी के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। वे क्षेत्रविशेष की जानकारी सामान्यतः प्रदान करते हैं। अतः, साहित्यिक साधनों से प्राप्त जानकारी निष्पक्ष नहीं कही जा सकती। ऐसी स्थिति में हमें पुरातात्विक प्रमाणों का सहारा लेना पड़ता है। इनके काल-निर्धारण की समस्या उतनी विकट नहीं है; इनसे प्राप्त जानकारी अतिशयोक्तिपूर्ण या धार्मिक भावना से प्रेरित भी नहीं है। अतः, साहित्यिक स्रोतों की अपेक्षा पुरातात्विक सामग्री निरपेक्ष इतिहास-लेखन में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पुरातात्विक स्रोत भी अनेक प्रकार के हैं; जैसे : उत्खनन से प्राप्त सामग्री—सिक्के, अभिलेख, प्राचीन स्मारक एवं कलाकृतियाँ।

उत्खननों से प्राप्त सामग्री—उत्खननों एवं उनसे प्राप्त सामग्री के आधार पर अनेक प्राचीन स्थानों तथा वहाँ पर व्याप्त सभ्यता एवं संस्कृति का पता लगाया जा सकता है। 19-20वीं शताब्दी में भारत में जो उत्खनन हुए हैं, उनसे भारतीय प्रागैतिहासिक एवं ऐतिहासिक काल पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उदाहरणस्वरूप, हड़प्पा-सभ्यता का ज्ञान उत्खननों के पश्चात् ही हो सका है। इसी प्रकार पाटलिपुत्र, वैशाली, चिराँद, चम्पा, विक्रमशिला, नालंदा, मथुरा, कौशांबी, हस्तिनापुर इत्यादि स्थलों की खुदाइयों, उनसे प्राप्त मिट्टी के बरतनों, ईंटों के व्यवहार, धातु, पत्थर, काँच इत्यादि के सामानों के आधार पर उक्त स्थल-विशेष पर किसी निश्चित समय में

प्रचलित सभ्यता का पता आसानी से लगाया जा सकता है। उत्खननों से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही पाषाण काल के विभिन्न चरणों, ताम्र-पाषाणिक काल एवं विभिन्न संस्कृतियों तथा इतिहासकालीन भौतिक जीवन की प्रामाणिक जानकारी मिलती है। इस सामग्री का वैज्ञानिक परीक्षण कर उसकी वास्तविक तिथि निर्धारित की जाती है। तिथि निर्धारण के लिए C-14 विधि का सहारा लिया जाता है। अन्य वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की सहायता से भी भौतिक जीवन की जानकारी मिलती है। इस सामग्री के आधार पर मानव के वास्तविक भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। साहित्यिक स्रोतों के विपरीत इसमें अतिशयोक्ति या पूर्वाग्रह की मात्रा नहीं के बराबर है।

अभिलेख—पुरातात्विक स्रोतों में दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख हैं। भारत में अनेक अभिलेख मिले हैं। कुछ अभिलेख भारत के बाहर भी पाए गए हैं जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उदाहरण के लिए, एशिया माइनर का बोगजकोई अभिलेख अनेक वैदिक देवताओं, इंद्र, वरुण, मित्र आदि का उल्लेख करता है। सुमेर (मेसोपोटामिया या ईराक) से प्राप्त मिट्टी के उत्कीर्ण मुहरों से भारत (सिंधुघाटी) और सुमेर के व्यापारिक संबंधों का पता चलता है।



भारतीय अभिलेखों की श्रेणी बहुत बड़ी है। ये अधिकतर पत्थर या ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण हैं। अनेक अभिलेख मूर्तियों पर तथा मंदिर की दीवारों पर भी खुदवाए गए। मुहरों पर भी अनेक लेख मिले हैं। सिर्फ सिंधुघाटी की सभ्यता से ही मुहरों पर उत्कीर्ण अनेक अभिलेख मिले हैं, जिन्हें दुर्भाग्यवश अभी तक संतोषप्रद ढंग से नहीं पढ़ा जा सका है। ऐतिहासिक काल में सबसे प्राचीन अभिलेख मौर्य-सम्राट अशोक के हैं, जो गुफाओं, शिलाओं और स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं। इनसे अशोक के राज्यकाल की अनेक प्रमुख घटनाओं, जैसे—कलिंग-युद्ध, धर्ममहामात्रों की नियुक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार इत्यादि की जानकारी मिलती है। कलिंग के शासक खारवेल का हाथीगुम्फा-अभिलेख, मिलिंद का रेह-अभिलेख, रुद्रादामन का जूनागढ़-अभिलेख, कनिष्क एवं अन्य कुषाण-शासकों के अभिलेख भारतीय इतिहास की अनेक विस्मृत घटनाओं से हमारा परिचय कराते हैं। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग-प्रशस्ति, राजा चंद्र का मेहरौली-अभिलेख, स्कंदगुप्त का भितारी-अभिलेख, हर्षवर्द्धन का मधुवन एवं बाँसखेड़ा-अभिलेख, पालशासकों के अभिलेख, दक्षिण भारत के सातवाहनों, चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों आदि के अभिलेखों से राजनीतिक इतिहास के अतिरिक्त प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। गुप्तकाल की भूमि-व्यवस्था की जानकारी प्राप्त करने के लिए अभिलेख महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इन अभिलेखों की प्रामाणिकता एवं उपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि बहुत-से अभिलेखों में इन्हें जारी करनेवाले शासकों, पदाधिकारियों या व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। अभिलेखों में तिथि रहने से काल-निर्धारण की समस्या भी नहीं रह जाती है। जहाँ तिथि नहीं भी है, वहाँ लिपि के आधार पर काल-निर्धारण किया जा सकता है। अभिलेखों से अनेक साहित्यिक विवरणों की भी पुष्टि हो जाती है। हड़प्पाकालीन अभिलेखों के बाद प्राचीनतम अभिलेख अशोक के हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए। बाद में संस्कृत एवं अन्य भाषाओं जैसे तमिल, तेलगु इत्यादि में भी अभिलेख लिखे गए। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यह लिपि बाएँ से दाएँ की ओर लिखी जाती थी। ईसा की प्रथम शताब्दी से खरोष्ठी लिपि का भी व्यवहार हुआ। यह दाहिने से बाएँ की ओर लिखी जाती थी। उत्तर-पश्चिमी सीमा से प्राप्त अशोक के कुछ अभिलेख अरामाईक लिपि में भी पाए गए हैं। अभिलेखों की विभिन्न श्रेणियाँ भी हैं। कुछ अभिलेख राजशासन से संबद्ध हैं तो कुछ प्रशस्ति के रूप में विद्यमान हैं। अनेक अभिलेख दान संबंधी हैं। भूमिदान एवं भूमि हस्तांतरण संबंधी अभिलेख भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं। गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदानों से संबद्ध अभिलेखों की बड़ी संख्या है। इनसे भूमि व्यवस्था एवं प्रशासन पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है।

सिक्के—सिक्कों से भी भारतीय इतिहास-लेखन में सहायता मिलती है। सिक्कों से आर्थिक इतिहास के अतिरिक्त राजनीतिक और प्रशासनिक महत्त्व की बातों का भी पता चलता है। काल-निर्धारण में भी सिक्के हमारी सहायता करते हैं। भारत के प्राचीनतम सिक्के आहत सिक्के



(Punch-marked coins) के रूप में विख्यात हैं। इनपर अभिलेख नहीं होते थे। ये अधिकतर ताम्र या चाँदी के बनते थे, जिनपर चिह्न अंकित रहते थे। ऐसे सिक्कों का प्रचलन छठी शताब्दी ई० पू० से आरंभ हुआ। हिंद-यूनानियों के आगमन के साथ ही सिक्कों के स्वरूप में भी परिवर्तन आया। अब इनपर राजाओं के नाम एवं उनकी उपाधियों को भी उत्कीर्ण किया जाने लगा। शासकों की धार्मिक भावनाओं तथा उनकी व्यक्तिगत अभिरुचियों को भी सिक्कों पर दर्साया जाने लगा। अब सोने के सिक्के भी जारी किए गए। सिक्कों के प्राप्तिस्थान के आधार पर किसी राजा के राज्य की सीमा निश्चित करने में कुछ अंश तक सहायता मिल सकती है। यूनानियों, शकों, पार्थियनों, कुषाणों और गुप्त-शासकों के सिक्के बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। अनेक रोमन सिक्के भी भारत में पाए गए हैं, जो भारत और रोम के व्यापारिक संबंधों को प्रमाणित करते हैं। गुप्तकाल के पश्चात् सिक्कों की संख्या कम हो जाती है, परंतु उत्तर-मौर्यकाल से गुप्तकाल तक के इतिहास की जानकारी सिक्कों की सहायता से प्राप्त की जा सकती है। विगत अनेक वर्षों से गुप्त काल के बाद के भी थोड़े सिक्के मिले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासकों और राजवंशों जैसे हर्षवर्द्धन, पाल शासकों के सिक्के अभी भी प्राप्त नहीं हैं। ईसा की आरंभिक शती के सिक्का ढालने के साँचे (coin-mould) भी बड़ी संख्या में मिले हैं। सोने के सिक्के सर्वाधिक संख्या में गुप्तकाल में जारी किए गए। शासकों, गणतंत्रों एवं नगरों के सिक्कों के अतिरिक्त व्यापारी निगमों द्वारा भी सिक्के जारी किए जाते थे। इनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारत में स्थानीय इकाइयों को भी प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था।

स्मारक—प्राचीन स्मारकों से भी इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। प्राचीन भवनों, मंदिरों, गुहाओं के अवशेष, मूर्तियों इत्यादि के आधार पर किसी युगविशेष की संस्कृति एवं कला का पता आसानी से लगाया जा सकता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, तक्षशिला, मथुरा, कौशांबी, पाटलिपुत्र इत्यादि स्थानों से प्राप्त भवनों के अवशेषों के आधार पर नगर-निर्माण शैली का अंदाज मिलता है। इसी प्रकार नालंदा एवं विक्रमशिला के खंडहरों से इन स्थानों की गरिमा प्रकट होती है। तक्षशिला और मथुरा से प्राप्त मूर्तियों के आधार पर गांधार और मथुरा-मूर्तिकला की जानकारी मिलती है। साँची, भरहुत के स्तूप, अजंता, एलोरा, एलिफैंटा, बाघ की गुफाएँ तथा दक्षिण भारत के मंदिर प्राचीन शिल्पकला, मूर्तिकला एवं चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालते हैं।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय इतिहास की जानकारी के विविध साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोत हैं। प्रत्येक प्रकार के स्रोत का अपना अलग महत्व है। इनमें किसी भी स्रोत पर विशेष बल देने एवं दूसरे की उपेक्षा करने पर सही इतिहास की जानकारी नहीं हो सकती। तुलनात्मक दृष्टि से पुरातात्विक प्रमाण अधिक प्रामाणिक होने के बावजूद अपने में पूर्ण नहीं हैं। इसलिए, दोनों प्रकार के स्रोतों के उचित प्रयोग के आधार पर ही निरपेक्ष इतिहास की रचना की जा सकती है।